आर.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 121

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 57 / 2022 (सत्यपाल बनाम भरतसिंह वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 16.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0 / 2022 / 1637 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 16.08.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 57 / 2022

सत्यपाल उम्र 65 वर्ष पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी हमीरी कलां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
वादी

बनाम

1. भरतसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी हमीरी कलां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
2. चन्द्रपाल उम्र 58 वर्ष पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी हमीरी कलां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू
3. विजयपाल पुत्र सत्यपाल जाति जाट निवासी हमीरी कलां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिंह सर्किल झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

वकील वादी – विजयसिंह लालपुरिया
वकील प्रतिवादी – श्री जयसिंह गौड़

दावा बाबत खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.07.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हमीरी कलां पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि हाल ख0न0 340 / 206 रकबा 0.11 है0, ख0न0 204 रकबा 0.04 है0, ख0न0 205 रकबा 0.05 है0, ख0न0 27 रकबा 1.06 है0, 314 / 255 रकबा 0.28 है0, ख0न0 316 / 206 रकबा 0.96, ख0न0 339 / 206 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा है0 भूमि अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपने दर्ज हिस्सा मुताबिक बतौर बाहमी बंटवारा काबिज काश्त है। कब्जा काश्त बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 22 के मध्य आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। वादी अपनी भूमि को आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु तारबन्दी करवाना चाहता है। इसलिये वादी उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाने का अधिकारी है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के भौतिक कब्जे की सही

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

जांच करवाकर रास्ता कायम करते हुये विभाजन किया जाकर खाता अलग करने के आदेश फरमाया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया जाकर वा वादी डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के भौतिक कब्जे की जांच कर रास्ता कायम करते हुये विभाजन किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है परन्तु विभाजन करते समय भौतिक कब्जे की सही से जांच नहीं की गई। इसलिये पक्षकारान द्वारा उनके भौतिक कब्जे की जांच करवाकर रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण के इकबाली जवाब, समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरी कलां पटवार हल्का हमीरी कलां की सरहद में भूमि हाल ख0न0 340/206 रकबा 0.11 है0, ख0न0 204 रकबा 0.04 है0, ख0न0 205 रकबा 0.05 है0, ख0न0 27 रकबा 1.06 है0, 314/255 रकबा 0.28 है0, ख0न0 316/206 रकबा 0.96, ख0न0 339/206 रकबा 0.22 है0 भूमि को संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि मानते हुये उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त मुताबिक खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/7/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर